Knowledge. Voice. Democracy.
PRIA

प्रतिवेदन

विकास खंड स्तरीय पंचायत संसाधन समूह के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रस्तुति

ज्ञान. आवाज़. लोकतंत्र.
प्रिया

पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया
42 तुगलकाबाद इंस्टिट्युशनल एरिया, नई दिल्ली – 110 062
फोनः 011 – 29960931/32/33, फैक्सः 011–29995 5183
ईमेलः info@pri.org, वेबसाइटः www.pria.org

पृष्ठभूमि

झारखण्ड सरकार के द्वारा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिये नये प्रयास आरम्भ किये गये हैं। इस कार्य में राज्य सरकार को अन्य संस्थाओं के द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के द्वारा राज्य में कुछ चुनिंदा 'बीकन पंचायतों' को तैयार करने की योजना बनायी गयी है। राज्य सरकार के इस प्रयास में यूनीसेफ के द्वारा सहयोग देना तय किया गया।

जमीनी स्तर पर राज्य के 5 जिलों (देवघर, लातेहार, रामगढ, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम) के चयनित 25 ग्राम पंचायतों को बीकन पंचायत के रूप में तैयार करने के लिये यूनीसेफ ने प्रिया के साथ एक परियोजना को आरम्भ किया है। परियोजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों को मजबूत करने के साथ ही उनको सहयोग देने के उद्देश्य से संसाधन समूहों का निर्माण किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तरीय संसाधन समूह के सदस्यों को ग्राम पंचायत के समग्र विकास में उनके योगदान के महत्व को समझाने और समूह में कार्य करने के प्रति समझ बढ़ाने के लिये परियोजना के अन्तर्गत पश्चिम सिंहभूम जिले के झींकपानी विकास खण्ड में दिनांक 11 अगस्त, 2017 को एक प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया (संलग्नक–1)। इस कार्यक्रम में कुल विकास खण्ड के प्रखण्ड पदाधिकारी सहित कुल 40 (12 महिला और 28 पुरूष) लोग उपस्थित थे।

कार्यक्रम का उद्देश्य

झींकपानी विकास खण्ड मे आयोजित एक दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे –

- पंचायत संसाधन समूह की भूमिकाओं को स्पष्ट करना

- पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी देना
- ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में जानकारी देना और उनसे ताल–मेल बैठाने पर सोच बनाना
- भविष्य की कार्य योजना बनाना

कार्यक्रम विवरण

कार्यक्रम का आरम्भ करते हुये सबसे पहले प्रिया के पश्चिम सिंहभूम के कार्यक्रम समन्वयक रति रंजन नंदा ने सभी उपस्थित संभागियों का औरपचारिक रूप से स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी संक्षेप में जानकारी दी। इसके बाद सभी संभागियों ने अपना परिचय भी दिया।

परिचय सत्र के बाद प्रिया के रांची कार्यालय की सदस्य पल्लवी शर्मा ने संभागियों को झारखण्ड के पंचायती राज व्यवस्था के कुछ प्रमुख पहलुओं की जानकारी देते हुये ग्राम पंचायत की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने राज्य सरकार के द्वारा बीकन पंचायतों के चयन और उनमें किये जाने वाले कामों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी।

इस चर्चा के दौरान उन्होंने यह भी समझने की कोशिश की कि पंचायत समूह के सदस्यों का ग्राम पंचायतों से जुड़ाव किस प्रकार का है? इसके लिये उन्होंने संभागियों से कुछ सवाल भी किये जो निम्नवत् हैं –

- ✓ ग्राम पंचायत की बैठक एक साल में कितनी बार होती है?
- ✓ ग्राम पंचायत की बैठक में कौन लोग शामिल होते हैं?
- ✓ ग्राम सभा की बैठक में कौन लोग शामिल होते हैं?
- ✓ वर्तमान में ग्राम पंचायतों में कौन–कौन सी प्रमुख योजनाओं का संचालन किया जा रहा है?

चर्चा के दौरान पल्लवी शर्मा के द्वारा निम्नलिखित जनाकारियाँ दी गयीं –

- झारखण्ड में ग्राम पंचायत का गठन 5000 की जनसंख्या पर किया जाता है
- एक वार्ड में कम से कम 500 लोग होने चाहिये
- ग्राम पंचायत के चयनित प्रतिनिधि ही ग्राम सभा की स्थायी समिति के सदस्य होते हैं
- ग्राम पंचायत की प्रत्येक स्थायी समिति में 5 सदस्य हो सकते हैं।
- ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य दो से अधिक स्थायी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है
- मुखिया और उप मुखिया प्रत्येक स्थायी समिति के पदेन सदस्य होंगे

बीकन पंचायतों के बारे में और विस्तार से जानकारी देते हुये रति रंजन के द्वारा विभिन्न विषयों और उनसे संबंधित सूचकांकों (संलग्नक –3) के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

चर्चा के दौरान पंचायत समूह के सदस्यों ने निम्नखित प्रश्न रखे –

- ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के सदस्यों को समितियों के बारे में जानकी नहीं है
- सदस्यों को यह नहीं पता है कि वह किस समिति के सदस्य हैं
- स्थायी समितियाँ सक्रिय नहीं हैं
- स्थायी समिति के सदस्यों का काम स्पष्ट नहीं है
- पंचायत के स्वयं सेवकों को कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुये झींकपानी विकास खण्ड के प्रखण्ड पदाधिकारी मलय कुमार वर्मा ने कहा कि क्षेत्र की पंचायतों के लिये यह अच्छी बात है कि राज्य सरकार के द्वारा प्रखण्ड के पाँच ग्राम पंचायतों को बीकन पंचायतों के रूप में तैयार

करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पंचायत संसाधन समूह के सदस्यों के साथ ही ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं को लागू कराने में उनके द्वारा पूरा योगदान दिया जाय। इस अवसर पर उन्होंने सभी ग्राम पंचायत सेवकों से कहा कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के स्तर पर चल रही विकास योजनाओं के बारे में नियमित रूप से जानकारी विकास खण्ड के स्तर पर उपलब्ध करायी जाय और किसी प्रकर की समस्या होने पर ग्राम पंचायत के मुखिया और अन्य प्रतिनिधियों से उस संबंध में चर्चा कर समाधान निकाला जाय।

कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में प्रिया के आलोक पाण्डेय ने पंचायत संसाधन समूह के सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14वें वित आयोग की अनुशंसा के बाद अब ग्राम पंचायतों को वित्तीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर ग्राम पंचायतें लोगों के साथ मिलकर एक बेहतर योजना का निर्माण कर सकती हैं और अपने ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित कर सकती हैं।

कार्यक्रम के अन्त में धन्यवाद ज्ञापन प्रिया के हर्ष बुद्धराजा के द्वारा किया गया।

संलग्नक – 1

विकास खंड स्तरीय पंचायत संसाधन समूह के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांकः 11 अगस्त 2017 स्थानः विकास खण्ड सभागार, झींकपानी

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण का उद्देश्य

- पंचायत संसाधन समूह की भूमिकाओं को स्पष्ट करना
- पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी देना
- ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के बारे में जानकारी देना और उनसे ताल–मेल बैठाने पर सोच बनाना
- भविष्य की कार्य योजना बनाना

समय अवधि	विषय	संदर्भ व्यक्ति
10.00 से 10.30	पंजीकरण	हर्ष बुद्धराजा
10.30 से 11.00	स्वागत, परिचय, विषय प्रवेश	रति रंजन
11.00 से 12.30	ग्रामीण विकास और झारखण्ड पंचायती राज व्यवस्था	पल्लवी शर्मा
12.30 से 1.00	ग्राम पंचायत और उसकी स्थायी समितियाँ	पल्लवी शर्मा
1.00 से 1.15	चाय	हर्ष बुद्धराजा
1.00 से 1.30	झारखण्ड में बीकन पंचायत	रति रंजन
1.30 से 2.30	भोजनावकाश	हर्ष बुद्धराजा
2.30 से 3.00	राज्य सरकार की ग्राम पंचायतों से अपेक्षा	मलय कुमार वर्मा, प्रखण्ड पदाधिकारी झींकपानी
3.00 से 4.00	ग्रामीण विकास और पंचायत संसाधन समूह की भूमिका	आलोक पाण्डेय
2.45 से 3.30	धन्यवाद ज्ञापन	हर्ष बुद्धराजा

संलग्नक – 2

बीकन पंचायतों और विभिन्न विषयों से संबंधित सूचकांकों

पंचायत दर्पण के अनुसार ग्राम पंचायतों की प्रगति को मापने के लिये 10 क्षेत्रों से संबंधित 35 सूचकांक	
मूलभूत सुविधायें	
1	आँगनबाड़ी केन्द्र
2	पाइप लाइन आधारित पीने के पानी की सुविधा
3	सुरक्षित आवास सुविधा
4	घर में विद्युत की व्यवस्था
5	पक्की सड़क
6	पंचायतों में ब्रॉड–बैंड
7	गाँव में खेल का मैदान
ई–गर्वनेंस	
8	ग्राम पंचायत भवन में कम्प्यूटर के माध्यम से सेवाओं को देने की व्यवस्था
शिक्षा	
9	15 से 18 आयु वर्ग के सभी बच्चे और बच्चियाँ हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं।
10	6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे और बच्चियाँ प्राथमिक शिक्षा पा रहे हैं।
11	स्कूल जाने वाले सभी बच्चे और बच्चियों को मध्यान्ह भोजन मिल रहा है।
12	15 से 18 आयु वर्ग की सभी बच्चियाँ हाई स्कूल में पढ़ रही हैं।
वित्तीय समावेशन	
13	प्रधान मंत्री जन–धन योजना में सबका खाता खुला है।
खाद्य सुरक्षा	
14	राशन की दुकान से योग्य लोगों को सामग्री का वितरण
स्वास्थ्य	
15	0 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों और बच्चियों को आई.सी.डी.एस. सेवाओं का लाभ
16	0 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों और बच्चियों का टीकाकरण
17	कुपोषण में कमी
18	स्वास्थ्य उप केन्द्र की सुविधा
19	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा
20	100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव
आजीविका विकास	
21	सिंचाई की सुविधा का विस्तार
22	किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की उपलब्धता
23	परिवारों के स्तर पर आजीविका के साधनों का विकास
24	युवाओं/नवयुवतियों को दक्ष बनाने के लिये प्रशिक्षण
साफ–सफाई और स्वच्छता	
25	परिवार के स्तर पर व्यक्तिगत शौचालय
26	गाँव को खुले में शौच से मुक्त का दर्जा
समाजिक सुरक्षा	
27	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
28	अटल पेंशन योजना
29	प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

30	प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
31	परिवार का आधार से जुड़ाव
32	विकलांगता पेंशन
33	वृद्धावस्था पेंशन
34	विधवा पेंशन
महिला सशक्तिकरण	
35	स्वयं सहायता समूहों का निर्माण